FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

चुनाराम पुत्र लालुराम जाति जाट सा. सुभाषनगर तह. कुचामन	बनाम	किशनाराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट वगै. सा. सुभाषनगर तह. कुचामन

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमा नम्बर 01 88/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
31.05.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जग्गाराम ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम सुभाषनगर के खसरा नम्बर 1091, 1093, 1095, 1113, 1132, 1133, 1135, 1137, 1146/1142, 1194/1157, 1195/1136, 1196/1157 कुल रकबा 18.68 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1090 रकबा 5.67 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 26 किसी प्रकार का बैचान/हस्तानांतरण/रहन नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 40 अप्रार्थी संख्या 1 ता 26 द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात का पंजीयन स्वीकार नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 41 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.07.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
8/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर पधारे है पत्रावली दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	
29/8/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की तामील हेतु समय चाहा है। जो दिया जाता है। वास्ते तामील दिनांक 30/9/2024 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी ने उपस्थित होकर एवं प्रार्थना प्रकरण वापस की विड्रॉल करना चाहा है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण हाजा U/S 212 R.T.Act अधीन विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner